ऑनलाइन अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 168/ 1 सी0 (वन) दिनांक 30/01 /2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.370 है0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का ई0डी0एस0 FP/UK/ROAD/ 42439/2019 दिनांक 16.1.2020 एवं आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 17.1.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर आख्या निम्नवत् है:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	User Agency may review employment generation detail at section E in Form A, part I.	Employment generation संशोधित कर आनलाइन अंकित कर दिया गया है।
2	NPV calculation sheet has not been uploaded as additional information in Form A, part II at para 13.	NPV calculation sheet फार्म A में Additional information Details में **NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders by DFO (pdf file)** के नाम से अपलोड किया गया है एवं पार्ट–।। में अपलोड का कार्य आपके स्तर से किया जाना है।
3	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion has been wrongly filled at para-6 in Form A, part II. Please filled correct detail in it.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
4	Name of road has not been mention in administrative approval certificate as additional information in Form A, part I.	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश additional information in Form A, part I में **Administrative and Financial sanction (pdf file)** नाम से अपलोड किया गया है **संलग्न– शासनादेश (पेंज 1 –3)**
5	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	Form A के Part-I के section D (iii, iv) में KML file में alternate alignment नीली रेखा से दर्शा कर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
6	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Original copy समस्त अभिलेखो सहित आपके पत्रांक संख्या 2319 / 12–1 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। **संलग्न 2– प्राप्ति रसीद की छायाप्रति (पेंज 4)**
7	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	लाभान्वित होने वाले ग्राम को मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल में दर्शा कर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
30/01/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
30.1.2020 30/1/2020

(6)

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या——— /III(2)/16–08(एम0एल0ए0)/2015

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 23.00 किमी0 तथा लागत ₹ 348.80 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 348.80 लाख (रू0 तीन करोड़ अड़तालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(7)

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—03—2017 तक सुनिश्चित कि जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वी है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वी स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 में लोक निर्माण विभाग के अनु सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़ आयोजनागत—800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर—02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या—362(A)/XXVII(2)/2016, दिनांक अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या—2380/III(2)/16—06(एम0एल0ए0)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

9. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
10. जिलाधिकारी, चमोली।
11. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
15. सम्बन्धित अधीक्षण, सातवां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

-2390 / III(2)/18-06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31 अगस्त, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के खेत गदेरे से बुगखोली–कैडा–पडाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	137.60	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	30.00	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत पिण्डवाली से सिदोखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	95.20	0.10
4	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के नगली से ईश्वरीखाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	86.00	0.10
	कुल	23.00	348.80	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 31-12-2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :– 1– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी– पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम देवलगडसारी तक मोटर मार्ग का निर्माण।
2– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी– पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम कोली भटोली मोटर मार्ग का निर्माण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि अधिशासी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गौचर द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 03–03 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसे 03 प्रतियों में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 2319 /12-1 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को इस आशय से प्रेषित कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्ताव की प्रतियाँ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्राप्त
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।
24-01-2020